न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 72/2015

1. श्रीगिरीराजसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
2. श्री औंकारसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
3. श्री आनन्दसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
4. भवानीसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
5. श्रीमति सुमनकंवर पुत्री श्री भोपालसिंह पत्नी श्री स्व0 लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत
6. श्रीमति सुशीलकंवर पुत्री श्री भोपालसिंह पत्नी स्व0 गणपतसिंह जाति राजपूत
7. श्रीमति स्वरूपकंवर पुत्री श्री भोपालसिंह पत्नि स्व0 श्री नाथूसिंह जाति राजपूत
8. श्रीमति सुनन्दकंवर पुत्री श्री भोपालसिंह पत्नि श्री भोपालसिंह जाति राजपूत
9. श्री दुष्यन्तसिंह पुत्र स्व0 श्री कुशलसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
10. श्रीमति कृष्णा पत्नि स्व0 श्री कुशलसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
11. श्रीमति शुगन पुत्री स्व0 श्री कुशलसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत
12. सुश्री मेघना पुत्री स्व0 श्री कुशलसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत

समस्त निवासीयान ग्राम सथाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

............वादीगण

बनाम

1. श्री दीपकसिंह पुत्र श्री किरणसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी भाटी कॉलोनी बरल रोड बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।
2. श्री भंवरसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह उम्र बालिग जाति राजपूत निवासी सालमगढ हवेली किला रोड प्रतापगढ तहसील प्रतापगढ जिला प्रतापगढ राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार कार्यालय बिजयनगर जिला अजमेर राजस्थान।

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.04.2017

वादीगण ने अपने इस वाद पत्र में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा सथाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 478 मि0 रक्बा 3 बीघा उनके पिता स्व0 श्रीभोपाल सिंह को आरजी ख0 न0 3468 व 3469 से नारायण सागर बांध की नहर निकालने की एवज में संवत् 2023–2026 में आंवटित की गई थी जिसके हाल न0 1365 रक्बा 3–17–00 बीघा कायम किये गये है जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्री किरण सिंह को होने के बावजूद राजस्व कर्मियों से मिली भगत करके इसका रक्बा 3–17–00 की अपेक्षा 4–02–00 बीघा करवा कर पुनः अपने नाम आंवटित करवाली और बदनियतिवश अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बेचानकर दी है अतः वाद डिक्री कर विवादित आराजी को वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम लगाई जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादी दीपक सिंह ने दिनांक 15.03.2017 को असालतन वकालतन उपस्थित होकर वादी पक्षकारान के साथ राजीनामा पेश कर दिया। राजीनामा बाद तस्दीक अभिलेख पर लिया गया।

इबारत राजीनामानुसार विवादित आराजी ख0 न0 1365 रक्बा 4–02–00 बीघा में से 3–02–00 बीघा भूमि वादीगण के नाम तथा 01 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 दीपकसिंह के नाम कर दिये जाने पर उभय पक्षों ने लिखित रूप में राजीनामा पेशकर सहमती दी है। पक्षकारान की पहचान उनके अभिभाषकगण ने की है। अतः राजीनामा पक्षकारान स्वीकार किया जाता है और तद्नुसार डिक्री किया जाता है।

ग्राम सथाना तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 1365/1 रक्बा 3–02–00 बीघा में वादीगण संख्या 1 से 12 को तथा ख0 न0 1365/2 रक्बा 01 बीघा में प्रतिवादी संख्या 1 दीपकसिंह वल्द किरणसिंह राजपूत निवासी भाटी कॉलोनी बिजयनगर जिला अजमेर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और जरिये स्थाई निषेधाज्ञा उभयपक्षान को एक दुसरे की उक्त आराजी में दखलदांजी से निषेध किया जाता है तथा तहसीलदार बिजयनगर को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री अनुसार ख0 न0 1365 के ख0 न0 1365/1 रक्बा 3–02–00 व 1365/2 रक्बा 01 बीघा की नक्शे में पृथक पृथक तरमीम करे तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में पक्षकारान के नाम अमल दरामद करावें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2017 को सरे इजलास अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मसूदा अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 14:08:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: